



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



16 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 521 राँची, बुधवार,

7 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

27 जून, 2024

संचिका संख्या-7/प्रोन्नति- 202/2015 का. 4222--श्री संजय कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P.(S) No-2598/2015 वाद में दिनांक 06.11.2017 को पारित न्यायादेश के पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए अवमाननावाद Cont. Case (Civil) No. 273/2024 दायर किया गया ।

2. Contempt Case (Civil) No. 273/2024 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 17.05.2024 को पारित अन्तरिम न्यायादेश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

- This Court, therefore, is of the view that a show cause notice is required to be issued upon O.P. No.3 as to why a proceeding for contempt be not initiated for not complying the order passed by this

court dated 18.01.2018 passed in W.P.(S) No. 2598 of 2015 affirmed by the Division Bench of this Court in L.P.A No. 477 of 2018 as also by the Hon'ble Apex Court in S.L.P No. 14421 of 2021.

- However, Mr. Ashutosh Anand, learned AAG II appearing for Opp. Party No. 2-Principal Secretary. Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha, Govt, of Jharkhand has submitted that order passed by the writ Court shall be complied in its true sense within a week i.e., all the consequential benefit including the monetary, for which he has sought for adjournment of the matter.
- As prayed for, list this case on 14.06.2024.

3. W.P.(S) No-2598/2015 संजय कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-06.11.2017 को पारित न्यायादेश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

“Petitioner is entitled for the perks and salary which other similarly situated persons appointed along with the petitioner have been given i.e. scale of Rs 9,300-34,800.”

4. इस वाद के विरुद्ध दायर LPA No.- 477/2018 में पारित न्यायादेश द्वारा उक्त पारित न्यायादेश को यथावत् रखा गया।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालया नई दिल्ली में दायर SLP No.-14421/2021 में दिनांक-27.09.2021 को पारित न्यायादेश निम्नवत् है-

“We do not find any good ground to interfere with the judgement and order passed by the High Court,”

6. विभागीय पत्रांक 954 दिनांक 21.02.2022 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 06.11.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ श्री संजय कुमार को जल संसाधन विभाग में विपत्र लिपिक के पद पर नियुक्त की तिथि 12.12.1995 से झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के वरीय सचिवालय सहायक की पारस्परिक वरीयता निर्धारित करते हुए औपबन्धिक वरीयता सूची में शामिल कर वरीयता क्रमांक- 173 'A' आवंटित किया गया।

7. विभागीय अधिसूचना संख्या 2095 दिनांक 15.03.2024 द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 06.11.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री संजय कुमार, तत्कालीन वरीय सचिवालय सहायक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची की उनकी शैक्षणिक योग्यता की सम्पुष्टि की तिथि दिनांक 12.05.2015 के प्रभाव से झारखण्ड सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है।

8. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य एवं अवमाननावाद Cont. Case (Civil) No.273/2024 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 14.06.2024 की पारित अन्तरिम न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या 2095 दिनांक 15.03.2024 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए श्री संजय कुमार के मामले में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है:-

- (i) श्री संजय कुमार, तत्कालीन वरीय सचिवालय सहायक, सम्प्रति-सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को उनसे कनीय कर्मी श्री संतोष कुमार झा (झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा अन्तर्गत वरीयता क्रमांक-174) के समान दिनांक 01.10.2012 के प्रभाव से झारखण्ड सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पी.बी.-II, पे. बैंड रु० 9300-34800/-, ग्रेड पे. रु० 4600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-7) के पद पर आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- (ii) श्री संजय कुमार को उनसे कनीय कर्मी श्री संतोष कुमार झा के समान दिनांक 04.12.2020 के प्रभाव से झारखण्ड सचिवालय सेवा के अंतर्गत प्रशाखा पदाधिकारी (पी.बी.-II, पे. बैंड रु० 9300-34800/-, ग्रेड पे., रु० 4800, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-8) के पद पर आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान किया जाता है।
- (iii) श्री संजय कुमार के मामले में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु राजस्व पर्षद द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा एवं टंकण जाँच/कम्प्यूटर साक्षरता परीक्षा में उत्तीर्णता सम्बन्धी प्रावधान को क्षान्त किया जाता है।

9. राजस्व पर्षद द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा एवं टंकण जाँच/कम्प्यूटर साक्षरता परीक्षा में उत्तीर्णता सम्बन्धित मामलों में इसे पूर्वोद्धारण नहीं समझा जाएगा।

10. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74, झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2074/वि(2) दिनांक 04.04.1965, जो भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति व आर्थिक लाभ दिये जाने के प्रावधान से संबंधित है एवं अन्य संगत परिपत्रों को विशेष परिस्थिति में शिथिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

11 विभागीय अधिसूचना संख्या 2095 दिनांक 15.03.2024 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

12 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संलेख जापांक 4182 दिनांक 25.06.2024 में सन्निहित प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का दिनांक 27.06.2024 को अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव।
